



2026:AHC-LKO:18773-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 2587 सन 2026

समीर महेंद्रा

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष लखनऊ
एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : हृदेश श्रीवास्तव, सतेंद्र नाथ राय

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शोभित मोहन शुक्ला, अभिषेक खरे, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

1. अधिवक्ता श्री रक्षित राज सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हृदेश श्रीवास्तव को, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री रक्षित राज सिंह को, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक खरे को सुना गया।
3. सुनवाई के दौरान, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक खरे ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किलों द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल शिकायत में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर अपील संख्या 26/2022 में 8,54,000/- रुपये की राशि जमा की गई थी, इसलिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 09.04.2022 के वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी वसूली की जानी है, वह उपरोक्त राशि को समायोजित करके की जानी चाहिए।

4. यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री खरे द्वारा बताए गए तथ्य सही हैं, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण अपील में उपर्युक्त जमा राशि के संबंध में राजस्व अधिकारियों को संतुष्ट कर सकता है, जिसके बाद स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के खाते में जमा की गई राशि को समायोजित करने के बाद वसूली की जाएगी। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त 8,54,000/- रुपये की राशि की प्राप्ति स्वीकार की है, इसलिए वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 09.04.2022 को निष्पादित/लागू किया जाएगा, जिसमें वसूली प्रमाण पत्र में उल्लिखित देय राशि से उपर्युक्त राशि को घटाया जाएगा। चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपील 2022 में पहले ही खारिज कर दी गई है, इसलिए हम कलेक्टर, लखनऊ को निर्देश देते हैं कि उपरोक्त बातों के आलोक में उपर्युक्त वसूली प्रमाण पत्र को लागू करें और दो महीने की अवधि के भीतर रेरा को राशि अवश्य भेजें।

5. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वसूली प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए हम रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न में प्रवेश नहीं कर सकते कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को कितना ब्याज देय है, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे वसूली प्रमाण पत्र में निहित विवरणों के आलोक में देखा जाना चाहिए जिसे लागू किया जाना है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों / निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

मार्च 16, 2026

आर.के.पी./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।